

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 212 / 2012

तारीख रजु 20.09.2012

उनवान

रामसहाय पुत्र कंचन जाति जाटव बगैरह निवासी निसूरियान का पुरा हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली।

-----वादी23

बनाम

राजूलाल पुत्र धर्मीराम जाति जाटव बगैरह निवासी निसूरियान का पुरा फुलवाडा तह0 हिण्डौन जिला करौली।

-----प्रतिवादी (27)

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री शान्ति लाल करसोलिया एडवोकेट।

प्रतिवादीगण की ओर से :- श्री राजवीरसिंह जाटव एडवोकेट।


निर्णय

दिनांक 28.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन के दावे के विन्दु संख्या 1 लगायत 9 के खसरा नंबरों के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वादी पक्ष अनुपस्थित है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 212/2012 रामसहाय बनाम राजूलाल अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।


(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

